

2

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक /वि.स./स्था./2022

रायपुर, दिनांक / /2022

//कार्यालय आदेश//

आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3/2012/1/5 दिनांक 02.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार की भांति सभी शनिवार को अवकाश घोषित किया जाता है एवं सचिवालय हेतु कार्यावधि सुबह 10.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक निर्धारित किया जाता है । कार्यालयीन अवधि में भोजन अवकाश पूर्व की भांति रहेगा ।

उक्त आदेश, आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगा ।

आदेश से,

हस्ता/-

प्रमुख सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 02/02 /2022

पृ. क्रमांक 907/वि.स./स्था./2022

प्रतिलिपि:-

01. माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को, माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
02. माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
03. माननीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ ।
04. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
05. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, जिला- रायपुर ।
06. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
07. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।
08. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
09. सर्वर कक्ष हेतु ।



उप सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा